रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012026-269460
CG-DL-E-20012026-269460

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947
No. 244] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSHA 30, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2026

का.आ. 272(अ).— जबकि मेसर्स नवीनाल ट्रांसमिशन लिमिटेड, आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफ़िस सी-105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली-110021 पर स्थित है, ट्रांसमिशन स्कीम "गुजरात के नवीनाल (मुंद्रा) क्षेत्र में बिजली की निकासी के लिए नेटवर्क विस्तार योजना" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने फाइल नं. 25-17/59/2024/-PG दिनांकित 18-जून-2024 के अंतर्गत ट्रांसमिशन स्कीम "गुजरात के नवीनाल (मुंद्रा) क्षेत्र में बिजली की निकासी के लिए नेटवर्क विस्तार योजना" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स नवीनाल ट्रांसमिशन लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, दि इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांकित 17 अक्टूबर 2024, राजस्थान पत्रिका (हिन्दी में) दिनांकित 17 अक्टूबर 2024 और कच्छ मित्र (गुजराती में) दिनांकित 17 अक्टूबर 2024, तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांकित 09 नवंबर 2024 में प्रकाशन की

तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स नवीनाल ट्रांसमिशन लिमिटेड, ने दिनांकित 16 जनवरी 2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के शासकीय राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से कोई अवलोकन/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन स्कीम "गुजरात के नवीनाल (मुंद्रा) क्षेत्र में बिजली की निकासी के लिए नेटवर्क विस्तार योजना" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलिग्राफ प्राधिकरण के पास है।

- नवीनाल (मुंद्रा) (जीआईएस) एस/एस में भुज॥ - लकड़िया 765 डी/सी लाइन का लीलो और संबंधित बेयस नवीनाल (मुंद्रा) (जीआईएस) एस/एस पे

इस योजना के अंतर्गत आवरित पारेषण लाइनें गुजरात राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँव	तहसील	जिला	राज्य
लाखियारवीरा, उलट, अरादा डोंगर, कोटड़ा रिजर्व्ड फॉरेस्ट, चावड़का, विठोन, मोरजर, आनंदसर, अधोछनी, थरावड़ा, कोटड़ा (थरावड़ा), भदली, रानारा, रानारा मोटा, रानारा नाना, देवपुर, मोटा जाख, सायरा, मोरगर, आनंदपर, पाहवाद, पुनारागढ़, पुनरेश्वर महादेव, लक्ष्मीपुर, कल्याणपुर, कल्याणपर, मणिपार, मंजल, तरा, नवी मंजल, लाखाड़ी, मंगवाना, जियापर, मधापर, देसलपर, मंगवाना आरएफ, नारायणनगर, ध्रुबयादोंगर, गुरुकुल डोंग	नखतरना	कच्छ	गुजरात
कानपर, कुमारी डोंगर, खशाडी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कुंवारथड़ा रिजर्व्ड फॉरेस्ट, मणिपर, आनंदसर, देशलपर, सदनबरी, सामत्रा, वंधाया, मंगवाना आरएफ, ध्रुबयादोंगर, कुरबोई, गुरुकुल डोंग, फोटदी, गुडकर आरएफ, नाभोई आरएफ, नाभोई नानी, प्राग सर, समतिया डूंगर, चाड़वा डूंगर, फाटसर तलाव, राठी डूंगर, पड सर, मोदिवारा जंग, वागराई डूंगर, जमोरा तलाव, गोदपर, सरली, वड्डासर, वड्डासर, दहिसरा आरएफ, दहिसरा, मेघपुर, समरोमोरी डोंगर, चुनदी, गजोद	भुज	कच्छ	गुजरात
गुडकर आरएफ, नाभोई आरएफ, नाभोई नानी, धरमशाला, रामपर, वेकरा, विंगडिया, अज़ापर, नाभोई मोटी, जामथडा, लुडवा, दर्शडी, ममायमोरा, धुनाई, कोंजाचोरा, पुनाडी, पुनाडी, आसंबिया नाना, आसंबिया मोटा, तुंबडी नानी, फराडी, बिदड्डा, सुखपर, नानी खाखर, दुदुनगरी डूंगर	मांडवी	कच्छ	गुजरात
तुंबडी नानी, तुंबडी मोटी, तुंबडी मोटी, बेराजा, रामाणिया, डेपा, घेलछा, मेडी, सुखपर, मोटी खाखर, देसलपर, भुजपर मोटा, भुजपर नाना, प्रतापर, ज़रपरा, शिराचा, कांडागरा, टुंडा, नवीनाल, धरमशालाब	मुंद्रा	कच्छ	गुजरात

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स नवीनाल ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित

टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है:

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स नवीनाल ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. अगर उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के मामले में याचिका सं. 2019 के नं. 838 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में गठित टेक्निकल/एक्सपर्ट कमेटी के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा।

[फा. सं. 25-16/11/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 19th January, 2026

S.O. 272(E).— Whereas M/s Navinal Transmission Limited, the applicant with its registered office at C-105, Anand Niketan, New Delhi-110 021, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme for “Network Expansion Scheme in Navinal (Mundra) area of Gujarat for drawal of power in the area”

And whereas, Central Electricity Authority (CEA), Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/59/2024-PG dated 18-June-2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme for “Network Expansion Scheme in Navinal (Mundra) area of Gujarat for drawal of power in the area”.

M/s Navinal Transmission Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The Indian Express (in English) dated 17-Oct-2024, Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 17-Oct-2024 & Kutch Mitra (in Gujrati) dated 17-Oct-2024 and in Weekly Gazette of India dated 09-Nov-2024 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Navinal Transmission Limited has submitted an affidavit dated 16-Jan-25 declaring that no observation/representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Network Expansion Scheme in Navinal (Mundra) area of Gujarat for drawal of power in the area” The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- LILO of Bhuj-II-Lakadia 765 kV D/C line at Navinal (Mundra) (GIS) S/s with associated bays at Navinal (Mundra) (GIS) S/s

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Gujarat:

Villages	Tehsil	District	State
Lakhiyarvira, Ulat, Arada Dongar, Kotada Reserved Forest, Chawdka, Vithon, Morjar, Anandsar, Adhochhani, Tharawada, Kotada (Tharawada), Bhadli, Ranara, Ranara Mota, Ranara Nana, Devpur, Mota Jakh, Sanyra, Morgar, Anandpar, Pahwad, Punaragarh, Punareshwar Mahadev, Lakhshmipur, Kalyanpur, Kalyanpar, Manipar, Manjal, Tara, Navi Manjal, Lakhadi, Mangwana, Jiapar, Madhapar, Deshalpar, Mangwana R F. Narayannagar, Dhrubya Dongar, Gurukul Dong	Nakhtarana	Kachchh	Gujrat
Kanpar, Kumari Dongar, Khashadi Protected Forest, Kunwarthada Reserved Forest, Manipar, Anandsar, Deshalpar, Sadanbari, Samatra, Wandhaya, Mangwana R F, Dhrubya Dongar, Kurboi, Gurukul Dong, Fotdi, Gudkar R F, Nabhoi R F, Nabhoi Nani, Prag Sar, Samtiya Dungar, Chadwa Dungar, Phatsar Talav, Rathi Dungar, Pad Sar, Modiwara Jung, Wagrai Dungar, Jamora Talav, Godpar, Sarli, Wadasar, Wadasar, Dahisara RF, Dahisara, Meghpur, Samromori Dongar, Chundadi, Gajod	Bhuj	Kachchh	Gujrat
Gudkar R F. Nabhoi R F, Nabhoi Nani, Dharmshala, Rampar, Vekra, Vingdia, Ajapar, Nabhoi Moti, Jamthara, Ludva, Darshadi, Mamaimora, Dhunai, Konjachora, Punadi, Punadi, Asambia Nana, Asambia Mota, Tumbadi Nani, Faradi, Bidada, Sukhpar, Nani Khakhar, Dudungari Dungar	Mandvi	Kachchh	Gujrat
Tumbadi Nani, Tumbadi Moti, Tumbadi Moti, Beraja, Ramania, Depa, Gelada, Medi, Sukhpar, Moti Khakhar, Desalpar, Bhujpar Mota, Bhujpar Nana, Pratapar, Jarpara, Siracha, Kandagara, Tunda, Navinal, Dharmsala	Mundra	Kachchh	Gujrat

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Navinal Transmission Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.
ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
vi. M/s Navinal Transmission Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/11/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.20 21:20:03 +05'30'